

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी:- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
राजस्व वाद सं.- 175/2020

1. बिहारी लाल पुत्र हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
2. रजनेश पुत्र हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
4. शिवकुमार पुत्र हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
5. सुरेश पुत्र हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
6. कमला पुत्री हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
7. शीला पुत्री हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
8. सन्तोष पुत्री हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
9. सुन्दरी पुत्री हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
10. सरोज पुत्री हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. महीपाल पुत्र चन्दगीराम जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
2. मालाराम पुत्र चन्दगीराम जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
3. मोहर सिंह पुत्र चन्दगीराम जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
4. रामनिवास पुत्र चन्दगीराम जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
5. रामरतन पुत्र चन्दगीराम जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
6. मिश्रो पुत्री चन्दगीराम जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
7. रुकमणी पत्नी चन्दगीराम जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
8. जमन पुत्र नरसी जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
9. फुलचन्द पुत्र नरसी जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
10. बृजमोहन पुत्र नरसी जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
11. लीलाराम पुत्र नरसी जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
12. शारदा पुत्री नरसी जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)



उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज0)

13. चोधमल पुत्र माडुराम नवीरा नरसी जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
14. भोला पत्नी माडुराम पुत्र वधु नरसी जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
15. सतपाल पुत्र माडुराम नवीरा नरसी जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
16. दयालाराम पुत्र बेगराम जाति ब्राहमण निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
17. हरिराम पुत्र गुला जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
18. बनारसी पुत्री गुला जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
19. मेवा पुत्री गुला जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
20. नालुदी पुत्री गुला जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
21. मिश्रो पुत्री गुला जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र-घोषणात्मक खातेदारी, रिकार्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
--:निर्णय :-

दिनांक :- 01.04.2022

- वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से पेश है-
1. यह कि ग्राम सिंघाना तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2054 से 2057 के खाता सं0 35 के ख0न0 458 रकबा 0.26 है0 ख0न0 460 रकबा 0.14 है0 ख0न0 465 के 0.04 है0 ख0न0 466 रकबा 0.33 है0 ख0न0 440 रकबा 0.22 है0 ख0 न0 438 रकबा 0.67 है0 ख0न0 439 रकबा 0.25 है0 ख0न0 472 रकबा 0.21 है0 ख0न0 474 रकबा 0.25 है0 ख0न0 473 रकबा 0.24 है0 ख0न0 464 रकबा 0.05 है0 ख0न0 475 रकबा 0.10 है0 ख0न0 459 रकबा 0.06 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 2.80 है0 के खातेदार कास्तकार तुलसीराम पुत्र चोखाराम का 0.63 है0 व बेगराज, नरसी, गुला, चन्दीया पुत्रान सालग का हिस्सा 1.10 है0 व सोनाराम, नोरंगराम, हरनारायण, फतेसिंह, रामेश्वर, रामचन्द पुत्रान बिन्जा हिस्सा 1.09 है0 में दर्ज रिकार्ड है।
 2. यह कि वाद पत्र के खण्ड सं0 1 में दर्ज भूमि में से वादी के पिता हरनारायण पुत्र बिन्जाराम ने बेगराज, गुला पुत्रान सालग का हिस्सा जरिये विक्रय पत्र कय कर लिया। जिसका नामान्तकरण दिनांक 02.09.1998 में वादीगण के पिता के नाम से दर्ज हो गया। जिसका नोट भी जमाबन्दी संवत 2054 से 2057 लगा हुआ है। इस प्रकार वादी को इस भूमि में बेगराज व गुला का हिस्सा कय करने पर 1.10 है0 में से 1/2 हिस्सा था जो 0.55 है0 बनता है तथा वादीगण के पिता हरनारायण का इस भूमि में पैत्रक 1.09 है0 में से 1/6 हिस्सा पूर्व से दर्ज था इस प्रकार इस भूमि में वादीगण के पिता के हिस्से में 0.74 है0 हिस्से में दर्ज हुई वादीगण के पिता हरनारायण द्वारा कय की गई भूमि जरिये नामान्तकरण सं0 224 दिनांक 02.09.1998 में वादीगण के पिता के नाम से दर्ज हुई है तथा खातेदार चान्दीया उर्फ चन्दगी पुत्र सालग ने नामान्तकरण सं0 260



हस्ताक्षर अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज)

दिनांक 21.12.2000 को अपनी इस भूमि में विभाजन करवा लिया। तथा विभाजन में चान्दीया उर्फ चन्दगी को ख0 न0 439 रकबा 0.25 है0 ख0 न0 493 रकबा 0.20 है0 ख0 न0 464 रकबा 0.20 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.54 है0 दिया गया। जबकि उक्त चनदीया का 1.10 हैक0 में से 1/4 हिस्सा ही इस भूमि में दर्ज था जबकि उसके हिस्से में करीब दुगुनी भूमि विभाजन में दे दी गई है तथा वादीगण भी इस 0.55 है0 भूमि हिस्से में आती है। उक्त चन्दीया उर्फ चन्दगीराम ने मात्र इस भूमि का विभाजन करवाया है जबकि इसके पिता व इसके भाइ नरसी, गुला, बेगराज, चन्दगीराम की इस भूमि के अलावा ग्राम सिंघाना में और दर्ज है जिसके हाल ख0 न0 419 रकबा 0.69 हैक0 ख0 न0 446 रकबा 0.46 है0 ख0 न0 449 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.25 है0 दर्ज रिकार्ड है जिसमें 1/4 हिस्सा चन्दगी उर्फ चन्दीया के वारिसान व 1/4 हिस्सा बेगराम के वारिसान व 1/4 हिस्सा गुला के वारिसान का व 1/4 हिस्सा नरसी के वारिसान का दर्ज रिकार्ड है उक्त भूमि आज भी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसका बंटवारा नहीं किया गया है जबकि मौके पर सभी खातेदारान ने बाहमी बंटवारा कर रखा है बाहमी बंटवारे के अनुसार चन्दीया उर्फ चन्दगी को सम्पूर्ण हिस्सा वाद पत्र के खण्ड स0 1 में वर्णित में दे रखा है तथा नरसी को वाद पत्र के खण्ड स0 1 में वर्णित भूमि की जगह हाल ख0 न0 419, 446, 449 में 0.56 है0 भूमि हिस्से में दे रखी है व उसी अनुसार काबिज कास्त है इसलिए चन्दगी के मात्र वाद पत्र के खण्ड स0 1 में वर्णित भूमि का हिस्सा विभाजन करवाया है तथा विभाजन में उसके हिस्से में 0.27 है0 की जगह 0.54 है0 भूमि दर्ज की है जबकि उसके हिस्से में मात्र 0.27 है0 भूमि ही आती है लेकिन सालिग के वारिसान नरसी, गुला, चन्दगी, बेगराज ने अपने दोनो खातों की भूमि को मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है उसी अनुसार कास्त करते आ रहे है व बाहमी बंटवारे में नरसी के हिस्से में ग्राम सिंघाना स्थित भूमि खाता स0 56 में ख0 न0 419, 446, 449 कुल किता 3 कुल रकबा 1.25 है0 में 1/2 हिस्सा पर कब्जा कास्त है। इस भूमि में चन्दगीराम के वारिसान का कोई कब्जा कास्त नहीं है तथा ग्राम सिंघाना स्थित भूमि जिसका वर्णित वाद पत्र के खण्ड स0 1 में किया गया है जिसका विभाजन भी चन्दगी पुत्र सालग द्वारा करवा लिया है चन्दगी के कब्जे कास्त में थी इसमें नरसी का कोई कब्जा मौके पर नहीं है।

3. यह कि प्रति0 सं0 1 से 6 के हकपूर्वाधिकारी चन्दगी के हिस्से में ख0 न0 439 रकबा 0.25 है0 ख0 न0 493 रकबा 0.24 है0 ख0 न0 464 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.67 है0 विभाजन में दर्ज होने के पश्चात शेष ख0 न0 438 रकबा 0.67 है0 ख0 न0 440 रकबा 0.22 है0 ख0 न0 458 रकबा 0.26 है0 ख0 न0 459 रकबा 0.06 है0 ख0 न0 460 रकबा 0.14 है0 ख0 न0 465 रकबा 0.04 है0 ख0 न0 466 रकबा 0.33 है0 ख0 न0 472 रकबा 0.21 है0 ख0 न0 474 रकबा 0.25 है0 ख0 न0 475 रकबा 0.10 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 2.28 है0 में वादी के पिता हरनारायण पुत्र बिन्जा हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 0.56 है0 दर्ज कर दिया। जिसका जमाबन्दी संवत 2058 से 2062 है जबकि वादी द्वारा 0.55 है0 भूमि बेगराज, गुला पुत्र सालग से कय की है जिसका नामान्तकरण भी उनके नाम से दर्ज हो गया तथा 0.19 है0 भूमि के पूर्व खातेदार कास्तकार है इस प्रकार कुल 0.74 है0 भूमि हिस्से में आती है इसलिए यही पर गलत हिस्सा दर्ज कर दिया तथा इसी



ह
स्वयंसेवा अधिकारी मुख्यालय
जिला मुख्यालय (पटना)

जमाबन्दी में चन्दीया उर्फ चन्दगीराम जिसने अपना खाता विभाजन करवा लिया था उसका पुनः नरसी चन्दगी 1/2 दर हिस्सा 0.56है० दर्ज हो गया जबकि चन्दीया उर्फ चन्दगी ने अपना हिस्सा का विभाजन करवा लिया तथा नामान्तरकण स० 260 के अनुसार उसका विभाजन हो चुका है इसलिए चन्दीया उर्फ चन्दगी को इस भूमि में से नाम हजफ किया जाना न्यायोचित है।

4. यह कि चन्दीया उर्फ चन्दगी पुत्र सालग का गलत रूप से रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 तक यथावत चलता रहा तथा शेष रहे खातेदारों में से कुछ ने अपनी भूमि का खाता विभाजन करवा लिया जिसका जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 में दर्ज है तथा ख०न० 438, 440, 458, 459, 460, 465, 466, 472, 474, 475 कुल किता 10 कुल रकबा 2.28है० भूमि का विभाजन इस प्रकार से हुआ है खातेदार तुलसी पुत्र चौखा को 472 रकबा 0.21 है० ख०न० 474 रकबा 0.25 है० ख०न० 475 रकबा 0.10है० कुल किता 3 कुल रकबा 0.56है० दर्ज हुआ था हरनारायण पुत्र बिन्जा जो वादीगण का पिता है उसके हिस्से में 0.56है० तथा चन्दीया उर्फ चन्दगी पुत्र सालग जो प्रति० स० 1 से 6 का हकपूर्वाधिकारी है व नरसी का वारिसान का 0.72 है० में से 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया है तथा इनके हिस्से में ख० न० 438/3 रकबा 0.11है० ख०न० 458/3 रकबा 0.06है० ख०न० 460/3 रकबा 0.02है० ख०न० 440 रकबा 0.22है० ख०न० 485 रकबा 0.04है० ख०न० 446/6 रकबा 0.33है० कुल किता 6 कुल रकबा 0.78है० भूमि दर्ज की गई है जबकि वादीगण ने स्वयं के हिस्से में 0.74है० भूमि आती है व शेष हिस्सा अन्य खातेदारों के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि चन्दगी ने अपने हिस्से का विभाजन पहले ही करवा चुका है उसके हिस्से में कुछ भी शेष नहीं था उसका खाता भी अलग से बन चुका है इसलिए उसका नाम गलत दर्ज है तथा नरसी को बाहमी बंटवारे में अन्य भूमि ख०न० 419, 446, 449 कुल किता 3 कुल रकबा 25है० में 1/2 हिस्सा पर कब्जा कास्त है नरसी व चन्दगी ने आपस में बाहमी बंटवारा कर रखा है उसी बंटवारे के अनुसार वाद पत्र के खण्ड स० 1 में वर्णित भूमि में चन्दगी, नरसी का हिस्सा कास्त करता है तथा ख०न० 419, 446, 449 में नरसी पुत्र सालग चन्दगी का हिस्सा कास्त करता है इस प्रकार से इस विभाजन में दर्ज ख०न० 438/3, 458/3, 460/3, 440, 465, 466/6 कुल किता 6 कुल रकबा 0.78है० भूमि अकेले वादीगण के कब्जे कास्त की है जिसमें प्रति० स० 7 से 14 का नाम गलत रूप से दर्ज है जिसको दुरुस्त किया जाकर वादीगण को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे जिसके वादीगण वाजिब अधिकारी है।
5. यह कि ग्राम सिंघाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता स० 211 के ख०न० 440 रकबा 0.22है० ख०न० 465 रकबा 0.04है० ख०न० 466 रकबा 0.33है० ख०न० 664/438 रकबा 0.11 है. ख०न० 668/458 रकबा 0.06है० ख०न० 673/460 रकबा 0.02है० कुल किता 6 कुल रकबा 0.78है० भूमि में 0.56है० का हिस्सेदार वादीगण के पिता दर्ज है तथा शेष 0.22है० भूमि प्रति० स० 1 से 6 के हकपूर्वाधिकारी चन्दगी पुत्र सालग 1/2 हिस्सा व प्रति० स० 7 से 15 का 1/2 दर हिस्सा 0.22है० दर्ज है उक्त विभाजन होने के पश्चात दर्ज हुई है तथा विभाजन में बटे नम्बर बने उनके हाल



उपर्युक्त अधिकारी मुहावा
जिला गुजरात (तय.)

- ख0न0 यही निर्मित हुये है जबकि इस भूमि में प्रति स0 1 से 15 का कोई हक व अधिकार नहीं है।
6. यह कि सालग के वारिसान में से मात्र चन्दगी ने अपने हिस्से का विभाजन वाद पत्र के खण्ड स0 1 में वर्णित भूमि में करवा लिया तथा शेष भूमि ख0न0 419, 446, 449 कुल किता 3 कुल रकबा 1.25 है0 में अपना हिस्सा संयुक्त रहने दिया उसका विभाजन नहीं करवाने से बाहमी बंटवारे के अनुसार विभाजन नहीं हो पाया। तथा प्रति0 स0 1 से 6 के पिता द्वारा विभाजन करवाने के पश्चात भी हाल ख0न0 440, 465, 466, 664/438, 668/458, 673/460 में पुनः उसका नाम दर्ज होने से व वाद पत्र के खण्ड स0 1 में वर्णित भूमि बाहमी बंटवारे में प्रति0 स0 7 से 15 के हिस्से में नहीं आने से व उनके नाम भी 0.11 है0 भूमि दर्ज होने से वादिगण को हकतलफी है जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकता है इसलिए वादीगण को उक्त वाद घोषणात्मक व रिकार्ड दुरुस्ती व खाता विभाजन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।
 7. यह कि दावे के लिए आधार विवाद ख0न0 440, 465, 466, 664/438, 668/458, 673/460 में प्रति0 स0 1 से 6 का नाम गलत रूप से दर्ज होने से व प्रति0 स0 7 से 15 को बाहमी बंटवारे में ख0 न0 419, 446, 449 में 1/2 हिस्सा आने से व उक्त सम्पूर्ण भूमि वादीगण की होने से पैदा हुआ है जो सावधि है वादीगण ने गत दिनों नकल ली तो वादीगण को पता चला कि उक्त भूमि में 0.22 है0 भूमि प्रति0 स0 1 से 15 के नाम दर्ज है इसलिए उक्त वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।
 8. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम सिंघाना तहसील बुहाना में स्थित होने के कारण उक्त वाद की सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है।
 9. यह कि वाद पत्र राज0 कास्त0 अधि0 के अनुसार 3 रुपये कोर्ट फीस पर पेश है।
 10. यह कि खातेदार हनुमानी पत्नी नरसी फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान प्रति0 स0 7 से 15 है तथा खातेदार रुकमणी पत्नी चन्दगी भी फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान प्रति0 स0 1 से 6 है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि -

(क) कि ग्राम सिंघाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के ख0न0 440 रकबा 0.22 है0 ख0न0 465 रकबा 0.04 है0 ख0न0 466 रकबा 0.33 है0 ख0न0 664/438 रकबा 0.11 है0 ख0न0 668/458 रकबा 0.06 है0 ख0न0 673/460 रकबा 0.02 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.78 है0 में वादीगण को खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे तथा प्रति0 स0 1 से 15 का नाम इस खातेदारी में से हजफ किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

(ख) कि ग्राम सिंघाना स्थित भूमि ख0न0 419 रकबा 0.69 है0 ख0न0 446 रकबा 0.46 है0 ख0न0 449 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.25 है0 में प्रतिवादीगण को बाहमी बंटवारे अनुसार खाता विभाजन किया जावे व प्रति0 स0 1 से 6 का नाम हजफ किया जावे। उसका 1/4 हिस्से की खातेदारी प्रति0 स0 7 से 15 के नाम दर्ज कर खाता विभाजन किया जावे।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 9, 11, 16, 17 की ओर से श्री रोहित पोषवाल ने वकालतनामा पेश



उपस्थान्त अधिवक्ता बुहाना
जिला बुहाना (राज.)

किया गया। दिनांक 10.01.2022 को अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 3, 9, 11, 16, 17 ने न्यायालय में उपस्थित होकर आदेशिका पर प्रतिवादीगण की तरफ से No Instruction & Not Prass किया गया था किन्तु तत्काल ही इसको आदेशिका से काट दिया गया और मौखिक कहा गया कि प्रतिवादीगण का जबाव बन्द कर वाद को डिक्री किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 9, 11, 16, 17 को जबाव बन्द किया गया। बावजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण द्वारा राजस्व अभिलेख में नकल मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत् 2058, जमाबंदी सं. 2054-57, 2058-61, 2058-61, 2062-65, 2066-69, 2070-73, 2075-78, 2075-78, 2075-78, 2070-73, नामान्तकरण संख्या 509 दिनांक 03.12.2010, नामान्तकरण संख्या 510 दिनांक 03.12.2010, नामान्तकरण संख्या 521, 260, 286, शुद्धि पत्र दिनांक 11.07.2020 पेश किया गया।

11.

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। न्यायालय का विवेचनात्मक तर्क रहा कि - (1) ग्राम सिंघाना तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 के खाता सं० 35 के ख०न० 458 रकबा 0.26 है० ख०न० 460 रकबा 0.14 है० ख०न० 465 के 0.04 है० ख०न० 466 रकबा 0.33 है० ख०न० 440 रकबा 0.22 है० ख० न० 438 रकबा 0.67 है० ख०न० 439 रकबा 0.25 है० ख०न० 472 रकबा 0.21 है० ख०न० 474 रकबा 0.25 है० ख०न० 473 रकबा 0.24 है० ख०न० 464 रकबा 0.05 है० ख०न० 475 रकबा 0.10 है० ख०न० 459 रकबा 0.06 है० कुल किता 13 कुल रकबा 2.80 है० के खातेदार कास्तकार तुलसीराम पुत्र चोखाराम का 0.63 है० व बेगराज, नरसी, गुला, चन्दीया पुत्रान सालग का हिस्सा 1.10 है० व सोनाराम, नोरंगराम, हरनारायण, फतेसिंह, रामेश्वर, रामचन्द पुत्रान बिन्जा हिस्सा 1.09 है० में दर्ज रिकार्ड है। (2) वादी के पिता हरनारायण पुत्र बिन्जाराम ने बेगराज, गुला पुत्रान सालग का हिस्सा जरिये विक्रय पत्र कय कर लिया। जिसका नामान्तकरण दिनांक 02.09.1998 में वादीगण के पिता के नाम से दर्ज हो गया। जिसका नोट भी जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 लगा हुआ है। इस प्रकार वादी का इस भूमि में बेगराज व गुला का हिस्सा कय करने पर 1.10 है० में से 1/2 हिस्सा था जो 0.55 है० बनता है तथा वादीगण के पिता हरनारायण का इस भूमि में पैत्रक 1.09 है० में से 1/6 हिस्सा पूर्व से दर्ज था इस प्रकार इस भूमि में वादीगण के पिता के हिस्से में 0.74 है० हिस्से में दर्ज हुई वादीगण के पिता हरनारायण द्वारा कय की गई भूमि जरिये नामान्तकरण सं० 224 दिनांक 02.09.1998 में वादीगण के पिता के नाम से दर्ज हुई है तथा खातेदार चान्दीया उर्फ चन्दगी पुत्र सालग ने नामान्तकरण सं० 260 दिनांक 21.12.2000 को अपनी इस भूमि में विभाजन करवा लिया। तथा विभाजन में चान्दीया उर्फ चन्दगी को ख० न० 439 रकबा 0.25 है० ख० न० 493 रकबा 0.20 है० ख०न० 464 रकबा 0.20 है० कुल किता 3 कुल रकबा 0.54 है० दिया गया। जबकि उक्त चनदीया का 1.10 है० में से 1/4 हिस्सा ही इस भूमि में दर्ज था जबकि उसके हिस्से में करीब दुगुनी भूमि विभाजन में दे दी गई है तथा वादीगण भी इस 0.55 है० भूमि हिस्से में आती है। उक्त चन्दीया उर्फ चन्दगीराम ने मात्र इस भूमि का विभाजन करवाया है जबकि इसके पिता व इसके भाई नरसी, गुला, बेगराज, चन्दगीराम की इस भूमि के अलावा ग्राम सिंघाना में और दर्ज है जिसके हाल ख०न० 419 रकबा 0.69 है० ख०न० 446 रकबा 0.



उपलब्ध अभिलेखीय दस्तावेजात
जिला कुल्लू (तज.)

46 है0 ख0न0 449 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.25 है0 दर्ज रिकार्ड है जिसमें 1/4 हिस्सा चन्दगी उर्फ चन्दीया के वारिसान व 1/4 हिस्सा बेगराम के वारिसान व 1/4 हिस्सा गुला के वारिसान का व 1/4 हिस्सा नरसी के वारिसान का दर्ज रिकार्ड है उक्त भूमि आज भी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसका बंटवारा नहीं किया गया है जबकि मौके पर सभी खातेदारान में दर्ज है जिसका बंटवारा नहीं बंटवारे के अनुसार चन्दीया उर्फ चन्दगी को सम्पूर्ण हिस्सा वाद पत्र के खण्ड स0 1 में वर्णित में दे रखा है तथा नरसी को वाद पत्र के खण्ड स0 1 में वर्णित भूमि की जगह हाल ख0 न0 419, 446, 449 में 0.56 है0 भूमि हिस्से में दे रखी है व उसी अनुसार काबिज कास्त है इसलिए चन्दगी के मात्र वाद पत्र के खण्ड स0 1 में वर्णित भूमि का हिस्सा विभाजन करवाया है तथा विभाजन में उसके हिस्से में 0.27 है0 की जगह 0.54 है0 भूमि दर्ज की है जबकि उसके हिस्से में मात्र 0.27 है0 भूमि ही आती है लेकिन सालिग के वारिसान नरसी, गुला, चन्दगी, बेगराज ने अपने दोनो खातों की भूमि को मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है उसी अनुसार कास्त करते आ रहे है - व बाहमी बंटवारे में नरसी के हिस्से में ग्राम सिंघाना स्थित भूमि खाता स0 56 में ख0 न0 419, 446, 449 कुल किता 3 कुल रकबा 1.25 है0 में 1 /2 हिस्सा पर कब्जा कास्त है। इस भूमि में चन्दगीराम के वारिसान का कोई कब्जा कास्त नहीं है तथा ग्राम सिंघाना स्थित भूमि जिसका वर्णित वाद पत्र के खण्ड स0 1 में किया गया है। (3) ग्राम सिंघाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता स0 211 के ख0न0 440 रकबा 0.22 है0 ख0न0 465 रकबा 0.04 है0 ख0न0 466 रकबा 0.33 है0 ख0न0 664 / 438 रकबा 0.11 है। ख0न0 668 / 458 रकबा 0.06 है0 ख0न0 673 / 460 रकबा 0.02 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.78 है0 भूमि में 0.56 है0 का हिस्सेदार वादीगण के पिता दर्ज है तथा शेष 0.22 है0 भूमि प्रति0 स0 1 से 6 के हकपूर्वाधिकारी चन्दगी पुत्र सालग 1/2 हिस्सा व प्रति0 स0 7 से 15 का 1/2 दर हिस्सा 0.22 है0 दर्ज है उक्त विभाजन होने के पश्चात दर्ज हुई है तथा विभाजन में बटे नम्बर बने उनके हाल ख0न0 यही निर्मित हुऐ है जबकि इस भूमि में प्रति स0 1 से 15 का कोई हक व अधिकार नहीं है। (4) सालग के वारिसान में से मात्र चन्दगी ने अपने हिस्से का विभाजन वाद पत्र के खण्ड स0 1 में वर्णित भूमि में करवा लिया तथा शेष भूमि ख0न0 419, 446, 449 कुल किता 3 कुल रकबा 1.25 है0 में अपना हिस्सा संयुक्त रहने दिया उसका विभाजन नहीं करवाने से बाहमी बंटवारे के अनुसार विभाजन नहीं हो पाया। तथा प्रति0 स0 1 से 6 के पिता द्वारा विभाजन करवाने के पश्चात भी हाल ख0न0 440, 465, 466, 664 / 438, 668 / 458, 673 / 460 में पुनः उसका नाम दर्ज होने से व वाद पत्र के खण्ड स0 1 में वर्णित भूमि बाहमी बंटवारे में प्रति0 स0 7 से 15 के हिस्से में नहीं आने से व उनके नाम भी 0.11 है0 भूमि दर्ज होने से वादीगण को हकतलफी है जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकता है इसलिए वादीगण को उक्त वाद घोषणात्मक व रिकार्ड दुरुस्ती व खाता विभाजन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। (5) विवाद भूमि ख0न0 440, 465, 466, 664 / 438, 668 / 458, 673 / 460 में प्रति0 स0 1 से 6 का नाम गलत रूप से दर्ज होने से व प्रति0 स0 7 से 15 को बाहमी बंटवारे में ख0 न0 419, 446, 449 में 1/2 हिस्सा आने चाहिए था।



उपरोक्त अधिकारी कुलुवा
जिला कुलुवा (मि.)

अतः न्यायालय डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। वादीगण ने अपने वाद पत्र को महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित किया है। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

-:: आदेश ::-

न्यायालय वाद वादीगण किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम सिंधाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के ख0न0 440 रकबा 0.22 है0 ख0न0 465 रकबा 0.04 है0 ख0न0 466 रकबा 0.33 है0 ख0न0 664/438 रकबा 0.11 है0 ख0न0 668/458 रकबा 0.06 है0 ख0न0 673/460 रकबा 0.02 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.78 है0 में वादीगण को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सख्या 1 से 15 का नाम हजफ किया किये जाने के आदेश आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 01-04-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला सुपुर्त (राज.)



मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुझुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. - 175/2015

1. बिहारी लाल पुत्र हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)
2. रजनेश पुत्र हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)
4. शिवकुमार पुत्र हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)
5. सुरेश पुत्र हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)
6. कमला पुत्री हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)
7. शीला पुत्री हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)
8. सन्तोष पुत्री हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)
9. सुन्दरी पुत्री हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)
10. सरोज पुत्री हरनारायण जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. महीपाल पुत्र चन्दगीराम जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)
2. मालाराम पुत्र चन्दगीराम जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)
3. मोहर सिंह पुत्र चन्दगीराम जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)
4. रामनिवास पुत्र चन्दगीराम जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)
5. रामरतन पुत्र चन्दगीराम जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)
6. मिश्रो पुत्री चन्दगीराम जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)
7. रुकमणी पत्नी चन्दगीराम जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)
8. जमन पुत्र नरसी जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)
9. फूलचन्द पुत्र नरसी जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)
10. बृजमोहन पुत्र नरसी जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0)



म
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुझुनू (राज.)

11. लीलाराम पुत्र नरसी जाति माली निवासी लाडी बुहाना तहसील बुहाना जिला
12. शारदा पुत्री नरसी जाति माली निवासी लाडी बुहाना तहसील बुहाना जिला
13. चोथमल पुत्र माडुराम नवीरा नरसी जाति माली लाडी का बास तहसील बुहाना जिला
14. झुंझुनू (राज0)
15. भोला पत्नी माडुराम पुत्र वधु नरसी जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
16. सतपाल पुत्र माडुराम नवीरा नरसी जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
17. दयालाराम पुत्र बेगराम जाति ब्राहमण निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
18. हरिराम पुत्र गुला जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
19. बनारसी पुत्री गुला जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
20. मेवा पुत्री गुला जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
21. नालुदी पुत्री गुला जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
22. मिश्रो पुत्री गुला जाति माली निवासी लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

.....प्रतिवादीगण

दावा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक आदेश

वादीगण की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट की उपस्थिति में व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में आज तारीख 01.04.2022 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

“ न्यायालय वाद वादीगण किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वार्के ग्राम सिंघाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के ख0न0 440 रकबा 0.22है0 ख0न0 465 रकबा 0.04है0 ख0न0 466 रकबा 0.33है0 ख0न0 664/438 रकबा 0.11है0 ख0न0 668/458 रकबा 0.06है0 ख0न0 673/460 रकबा 0.02है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.78है0 में वादीगण को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 15 का नाम हजफ किया किये जाने के आदेश आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। ”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया है।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)